झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–182 वर्ष 2017

काजल चौरसिया .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखंड राज्य और अन्य .... उत्तरदातागण

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री चंचल जैन, अधिवक्ता

उत्तरदाता–एच0एम0सी0 के लिए :– श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

3 / 30.1.2017 याचिकाकर्त्ता और प्रतिवादी–हजारीबाग नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रतिवादी संख्या 4–कार्यकारी अधिकारी, हजारीबाग नगर निगम, हजारीबाग द्वारा जारी ज्ञाप सं0 3774 दिनांक 30.12.2014, अनुबंध–1 में निहित सूचना कि याचिकाकर्त्ता के पक्ष में वार्ड संख्या 13 सुभाष नगर में पी0सी0सी0 सड़क के निर्माण के लिए काम का आवंटन हुआ है, के बावजूद, उसी प्रतिवादी द्वारा ज्ञाप सं0 1965 दिनांक 17.05.2016, अनुलग्नक–4 द्वारा सूचना के अधिकार के तहत इंगित कारणों से समझौते को निष्पादित नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि परिषद ने अपनी आम सभा की बैठक में उक्त कार्य के संशोधित अनुमान के आधार पर नए एन0आई0टी0 जारी करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्त्ता ने दिनांक 12.01.2017 को रिट याचिका दायर करके उक्त

कार्य के संबंध में समझौते को निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी–निगम को निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अनुबंध–4 में निर्णय के मद्देनजर, जो चुनौती के अधीन नहीं है और शिकायतों को उठाने में भी काफी देरी हुई है, यह न्यायालय अपने विवेकाधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्त्ता अपना बयाना राशि और मूल कागजात की वापसी के लिए प्रतिवादी से संपर्क कर सकते हैं, जिसपर अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। उत्तरदाता जमा किए गए बयाना राशि को दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ता को वापस कर देंगे, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, उसके बाद उस पर 18% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)